झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 3612/2023

______

बद्री नाथ राय, उम्र लगभग 55 वर्ष, पिता स्वर्गीय हाबू बाबू राय, जे.सी. मल्लिक रोड, प्रगति एन्क्लेव अपार्टमेंट के पास, हीरापुर, डाकख़ाना-हीरापुर, थाना-धनबाद।

...... याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, बज़रिए सचिव, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, डाकख़ाना-नई दिल्ली, थाना- नई दिल्ली, नई दिल्ली-110001.

2. विशेष अधिकारी कल्याण, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, कल्याण भवन डाकख़ाना और थाना जगजीवन नगर, जिला-धनबाद, 826003.

3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, कल्याण भवन, डाकख़ाना और थाना जगजीवन नगर, जिला-धनबाद-826003.

......उत्तरदातागण

सन्मुख (कोरम): माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद

माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री मनोज कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

राज्य के लिए वकील: श्री अनिल कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता (ए.एस.जी.आई)

श्री अभिजीत क्र. सिंह, अधिवक्ता

....

आदेश संख्या 14/ दिनांक 27.02.2024

1. यह रिट याचिका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है, जिसमें विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना बेंच, रांची स्थित सर्किट बेंच द्वारा ओ.ए. संख्या 051/000886/2022 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 (उपाबंध-8) को अभिखंडित करने की मांग की गई है, जिसके ज़रिए और जिसके अंदर याचिकाकर्ता द्वारा विलय की तिथि से ब्याज

सहित आनुपाततः (प्रो राटा) पेंशन के भुगतान के लिए दायर मूल आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

2. विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना बेंच के समक्ष दायर मूल आवेदन में, किए गए अभिकथन के आधार पर, रिट याचिका में किए गए अभिकथन, के अनुसार मामले के तथ्य संक्षिप्ततः निम्मानुसार पठनीय हैं।

3. याचिकाकर्ता की मां, नामतः, कमला रॉय, केंद्रीय अस्पताल, धनबाद की एक स्थायी कर्मचारी थीं और वह 29.01.1958 को वार्ड और रसोई सेवक, महिला, के रूप में अपना पदग्रहण की, और उनका जीपीएफ खाता संख्या सी.एम.एल.डब्ल्यू.ओ-109 है। याचिकाकर्ता की मां की सेवा 01.01.1964 को सम्पुष्ट हुई थी।

4. उत्तरवादीगण ने, केंद्रीय अस्पताल के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के संबंध में, ज्ञापांक संख्या सीएच.4 (45) 73 दिनांक 20.03.1974 जारी किया, और याचिकाकर्ता की मां का नाम क्रमांक 3 पर प्रकटीकरणीय है। सरकार के नीतिगत निर्णय के तहत केंद्रीय अस्पताल, धनबाद, जो कि केंद्र सरकार के एक संगठन, कोयला खान श्रम कल्याण संगठन (सी.एम.एल.डब्ल्यू.ओ) के नियंत्रण में था, जिसे भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (संक्षेप में बीसीसीएल) के साथ विलीन कर दिया गया और केंद्रीय अस्पताल के तत्कालीन कर्मचारियों की सेवाएं भी विलयन के रूप में बीसीसीएल के प्रबंधन के साथ विलीन कर दी, ज्ञापन संख्या 85 के प्रभाव से और, तत्कालीन सीएमएलडब्ल्यूओ के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के अधीन सीएमएलडब्ल्यूओ को दी गई सेवाओं की अवधि के आधार पर आनुपाततः (प्रो राटा) पेंशन का हकदार माना गया था।

5. याचिकाकर्ता की मां को, नए संगठन में उनकी सेवाओं के विलयन के आधार पर, आनुपाततः पेंशन का भुगतान नहीं किया गया, और उसने संबंधित उत्तरवादी से अनुरोध प्रस्तावित किया, इसी दर्म्यान 18.07.1986 को, नए संगठन बीसीसीएल में सेवाओं के दौरान, उसकी मृत्यु हो गई।

6. याचिकाकर्ता, जो मृतक कर्मचारी का पुत्र है, को अपनी मां की सेवाओं से संबंधित बकाया राशि के बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाई, और नए नियोक्ता द्वारा उसे यह बताया गया कि कथित उत्तरवादी द्वारा तत्कालीन नियोक्ता के अधीन सेवा के लिए आनुपातिक पेंशन का भुगतान किया जाना है, और उसके बाद ही, याचिकाकर्ता ने अपनी मां को देय बकाया पेंशन लाभ के भुगतान के लिए उत्तरवादी संख्या 3 के समक्ष 17.03.2017 को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

....

7. अगरचे उत्तरवादीगण अभ्यावेदन प्राप्त किए, लेकिन उन्होंने याचिकाकर्ता को याचिकाकर्ता की मां की आनुपाततः पेंशन से संबंधित बकाया राशि का भुगतान नहीं किया और उक्त परिस्थितियों में याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण रांची, सर्किट बेंच, के समक्ष रुख़ किया, जिसे ओ.ए. संख्या 220/2017 के रूप में पंजीकृत किया गया और उस मामले में इसकी प्रति उत्तरवादी को भी तामील कराई गई ।

8. उत्तरवादी ने याचिकाकर्ता को ब-हवाला निर्देश संख्या 362, दिनांक 04.05.2018 को एक पत्र जारी किया और उसे निदेश दिया कि वह पहले की तारीख पर, पत्र में उल्लिखित दस्तावेजात प्रस्तुत करे, ताकि उसे आनुपातततः पेंशन का भुगतान किया जा सके।

9. सी.ए.टी. द्वारा ओ.ए. संख्या 220/2017 का विनिश्चय 08.01.2019 को किया गया है, जिसके द्वारा और जिसमें याचिकाकर्ता को दो सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित सुसंगत दस्तावेजात के साथ एक आवेदन दाखिल करने का निदेश दिया गया है और उत्तरवादीगण को उस पर विचार करने और 30 दिनों के भीतर कारण देते हुए आदेश पारित करने का निदेश दिया गया।

10. याचिकाकर्ता ने तदनुसार विद्वान सी.ए.टी द्वारा पारित दिनांक 08.01.2019 के आदेश के मद्देनजर उत्तरवादीगण के समक्ष 31.10.2019 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और अपनी मां की आनुपातततः पेंशन का भुगतान करने का अनुरोध किया|

11. चूंकि याचिकाकर्ता की शिकायत का निवारण नहीं किया गया, इसलिए उसने ओ.ए. संख्या 220/2017 में पारित दिनांक 08.01.2019 के आदेश के अनुपालन कराने के लिए सी.पी. संख्या 28/2022 के रूप में पंजीकृत, अवमानना याचिका के माध्यम से, पुनः सी.ए.टी. का रुख़ किया।

12. उपरोक्त अवमानना याचिका पर विद्वान सी.ए.टी. द्वारा 15.09.2022 को सुनवाई की गई और इसे इस आधार पर विनिश्चय और खारिज कर दिया गया है कि अभ्यावेदन, साढ़े 9 महीने की लंबी देरी के बाद, 31.10.2019 को दायर किया गया था।

13. अवमानना याचिका खारिज होने के बाद, याचिकाकर्ता ने फिर ओ.ए. संख्या 051/000886/2022 के माध्यम से केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन किया, जिसे 16.03.2023 को, देरी और लापरवाही के आधार पर खारिज कर दिया गया, कि संबंधित कर्मचारी की मृत्यु वर्ष 1986 में हो चुकी थी, जिस के विरुध्द वर्तमान आवेदन फाइल किया गया है|

14. उपर्युक्त निर्दिष्ट अभिकथनों के अनुसार, तथ्यात्मक पहलू से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता, जो मृतक कर्मचारी का पुत्र है, जो (मृतिका) केंद्रीय अस्पताल धनबाद की स्थायी कर्मचारी थी और 29.01.1958 को वार्ड और महिला रसोई सेविका के रूप में, अपना योगदान दी थी। मृतिका की सेवा 01.01.1964 को सम्पुष्ट की गई थी और उसका वेतन भी ज्ञाप संख्या सीएच 4(45) 73 दिनांक 20.03.1974 द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसमें मृतक का नाम क्रम संख्या 3 पर दृष्टिगत है।

1. 15. इसके पश्चात जिस प्रतिष्ठान के तहत रिट याचिकाकर्ता की मृतक-मां काम कर रही थी, उसे कोयला मंत्रालय के तहत, केंद्र सरकार के साथ विलय करने का विनिश्चय किया गया था। विशिष्टतः, मृतिका की सेवा भारत कोल कोकिंग लिमिटेड के साथ विलय कर दी गई और उक्त विलयन के प्रभाव के कारण, और इस प्रकार, मृतिका केंद्र सरकार के तहत सीएमएलडब्ल्यूओ में प्रदान की गई सेवाकाल की अवधि के आधार पर आनुपातततः पेंशन के लिए हकदार हो गयी थी। मृतिका ने संबंधित प्राधिकारी से संपर्क किया था,

लेकिन कोई वास्तविक लाभ नहीं दिया गया और इस दरम्यान याचिकाकर्ता की मां की मृत्यु 18.07.1986 को हो गई। इसके बाद, मृतिका कर्मचारी के बेटे की हैसियत से,रिट याचिकाकर्ता भी मामले का पीछा करता रहा, लेकिन कोई राहत प्रदान नहीं की गई। इसके नतीजे में, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 14 के प्रावधान के मद्देनजर याचिकाकर्ता को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन दाखिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

16. विद्वान न्यायाधिकरण ने मूल आवेदन को खारिज करते हुए,दिनांक 16.03.2023 के आदेश के हवाले से मृतक को कथिते लाभ के विस्तार से इनकार कर दिया है, जिसके खिलाफ वर्तमान रिट याचिका फाइल की गई है।...................26.09.2024

17. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह आधार लिया है कि एक बार जब रिट याचिकाकर्ता की मृतक मां की सेवा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के साथ विलय कर दी गई, जो सीधे कोयला मंत्रालय के नियंत्रण में आता है, तो वह उस अवधि के लिए पेंशन और अन्य स्वीकार्य अनुज्ञेय राशि के लिए हकदार हो गई, जिसके लिए उसने उस समय अस्पताल में अपनी सेवाएं दी थीं, जब यह सीएमएलडब्ल्यूओ के नियंत्रण में था। हालाँकि, मृतक ने अन्य अनुज्ञेय़ बकाया राशि के लिए प्रार्थना नहीं की थी, बल्कि केवल उस अवधि के लिए पेंशन के लाभों को बढ़ाने के लिए प्रार्थना की थी, जो उसने सीएमएलडब्ल्यूओ के तहत अपनी सेवाएं दी थीं।

18. विद्वान न्यायाधिकरण ने अगरचे केंद्र सरकार (उत्तरवादीगण) को बुलाया, लेकिन उत्तरवादीगण को कोई लिखित बयान दाखिल करने के लिए कहे बिना, न्यायाधिकरण ने मृतक कर्मचारी के आनुपाततः पेंशन लाभों के अयोग्य होने के संबंध में, मौखिक आपत्ति पर, सहमति व्यक्त की थी और मूल आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

19. इस न्यायालय ने कई मौकों पर मामले की सुनवाई की है। केंद्र सरकार के विद्वान वकील ने इस आधार पर, पूरक जवाबी हलफनामा दाखिल करने में समय लिया, कि रिट याचिकाकर्ता (मृतक कर्मचारी का बेटा) के आनुपाततः पेंशन के संबंध में अधिकार का मुद्दा इस कार्यवाही में दाखिल जवाबी हलफनामे में निर्दिष्ट नहीं है। इस न्यायालय ने 8 फरवरी, 2024 के आदेश के हवाले से ऐसा अवसर प्रदान किया था और उसके अनुसरण में, 22.02.2024 को पूरक जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया है।

20. श्री अनिल कुमार, भारत के विद्वान अतिरिक्त महा न्यायविद् (सॉलीसिटर जनरल) ने उक्त जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 10 और 11 का संदर्भ करते हुए यह आधार प्रस्तुत किया कि मृतिका आनुपाततः पेंशन के लिए बिल्कुल हकदार नहीं थी, क्योंकि उपाबंध बी दिनांक 4 सितंबर 1985 के अनुसार अन्य कर्मचारियों में से एक द्वारा विकल्प दिया जाना आपेक्षित था, जो जवाबी हलफनामे में संलग्न है, लेकिन मृतिका द्वारा ऐसा कोई विकल्प इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए उसे कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है।

21. एक और आधार यह लिया गया है कि मृतिका की मृत्यु बहुत क़बल, 18.07.1986 को हो गई थी और पहली बार रिट याचिकाकर्ता ने वर्ष 2017 में मूल आवेदन ओ.ए. संख्या 220/2017 दाखिल करके क़ानूनी अदातल का दरवाजा खटखटाया, जिसका विनिश्चय 8 जनवरी, 2019 को कर दिया गया। इस प्रकार रिट याचिका को खारिज करने के उद्देश्य से अत्यधिक देरी और लापरवाही का आधार लिया गया है।

22. जवाब में रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि देरी और लापरवाही की प्रयोज्यता का कोई सवाल ही नहीं है, कारण यह है कि कानून की अदालत का दरवाजा खटखटाने की कार्रवाई का कारण उस दिन उत्पन्न हुआ कहा जाएगा जब विद्वान न्यायाधिकरण ने 08.01.2019 को ओ.ए. संख्या 220/2017 का निपटारा करते हुए एक आदेश पारित किया था। रिट याचिकाकर्ता की मां की मृत्यु 18.07.1986 को हो गई थी, लेकिन जिस समय विद्वान न्यायाधिकरण ने 08.01.2019 को आदेश पारित किया था, जिसमें संबंधित उत्तरवादी को विचार करने और तर्कपूर्ण आदेश पारित करने का निदेश दिया था और, भले ही, उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी गई , लेकिन 31.10.2019 को संचार पत्र जारी करके उस पर कार्रवाई की गई है, जो रिट याचिका का उपाबंध 6 है। तथापि, इस आड़ में कोई न्यायनिर्णय नहीं लिया गया कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित निदेश के अनुसार रिट याचिकाकर्ता द्वारा अभ्यावेदन दायर नहीं किया गया था, जैसा कि ओ.ए. संख्या 220/2017 में पारित दिनांक 08.01.2019 के आदेश में अंतर्विष्ट है।

23. इसके बाद, अवमानना सी.पी. संख्या 28/2022 भी दायर किया गया, लेकिन इसे उत्तरवादीगण द्वारा उठाई गई आपत्तियों के आधार पर ड्रौप कर दिया गया, कि यह रिट याचिकाकर्ता की ओर से अवसर का लाभ उठाने में लापरवाही है, जैसा कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा ओ.ए. संख्या 220/2017 में पारित दिनांक 08.01.2019 के आदेश द्वारा प्रदान किया गया था, और जब उस आधार पर अवमानना की कार्यवाही ड्रौप कर दी गई, उसके बाद फिर से ओ.ए. संख्या 051/000886/2022 में रिट याचिका दायर की गई, जिसका 16.03.2023 को निपटारा किया गया है।

24. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया कि विलंब और लापरवाही की कोई प्रयोज्यता नहीं होगी, क्योंकि उत्तरवादीगण ने विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित 08.01.2019 के आदेश OA/051/00220/2017 पर आघात नहीं किया गया है।

25. इस न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को भी दृष्टिगोचरद किया है जो आक्षेपित आदेश में उपलब्ध है। प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों का अधिमुल्यन करते हुए इस न्यायालय को निम्नलिखित विवाद्दकों का उत्तर देना आपेक्षित है।

I. एक प्रतिष्ठान के दूसरे प्रतिष्ठान में विलयन का क्या प्रभाव होगा।

II. एक कर्मचारी की सेवा को दूसरे प्रतिष्ठान में समाहित करने की क्या विविक्षा होगी।

III. क्या इस तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान रिट याचिकाकर्ता की विषय-वस्तु को विलंब और लापरवाही के सिद्धांत पर बाहर फेंका जा सकता है।

IV. क्या उत्तरवादी स्थापना/ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पात्रता और लाभ प्रदान नहीं किए जाने के मामले में ऐसे नियुक्ति प्राधिकारी को विलंब और लापरवाही के सिद्धांत की प्रयोज्यता के लिए पट्टेबाजी (फेंस सीटर) का अभिवाक लेने की अनुमति दी जा सकती है।

26. जहां तक प्रश्नगत तथ्यात्मक पहलू का सवाल है, सभी चार विवाद्यकें आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए उन पर एक साथ चर्चा की जा रही है।

27. जहां तक विलयन के सम्बंध का प्रश्न है, कानून सुस्थापित रूप से कहा गया है कि एक बार जब किसी प्रतिष्ठान का दूसरे प्रतिष्ठान के साथ विलय हो जाता है, तो जिस प्रतिष्ठान का दूसरे प्रतिष्ठान के साथ विलय होने की ईप्सा की जाती है, वह अपनी पहचान खो देगा। जिस क्षण पहचान खो जाती है, विलयन के बाद एकल पहचान रह जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि जिस प्रतिष्ठान में दूसरे प्रतिष्ठान का विलय हुआ है, उसे जो लाभ दिए जा रहे थे, वे सत्यता में, उस प्रतिष्ठान पर भी लागू हो जाएंगे जिसका विलय हुआ है। ,,,,,,,,,,,,,

28. सिंगर इंडिया लिमिटेड बनाम चंदर मोहन चड्ढा, (2004) 7 एससीसी 1 के मामले में माननीय शीर्षस्थ न्यायालय ने विलयन के पहलू से निपटते समय सरस्वती इंडस्ट्रियल सिंडिकेट लिमिटेड बनाम सीआईटी, 1990 सप एससीसी 675 में पारित फैसले के निर्णयाधार को ध्यान में रखा है, (और) संप्रेक्षित किया है कि जब दो कंपनियों का विलय होता है और वे इस तरह जुड़ती हैं कि एक तीसरी कंपनी बन जाती है या एक को एक में आमोलन कर लिया जाता है या दूसरे के साथ मिला दिया जाता है, तो समामेलित कंपनी अपनी इकाई खो देती है। तत्पर संदर्भ के लिए उपरोक्त फैसले के प्रासंगिक पैराग्राफ को नीचे उत्कथित (कोट) किया जा रहा है:

"8. सरस्वती इंडस्ट्रियल सिंडिकेट लिमिटेड बनाम सीआईटी [1990 सप्लीमेंट्री एससीसी 675: एआईआर 1991 एससी 70] (पैरा 6) में यह निर्धारित किया गया है कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि जब दो कम्पनियों को एक में समामेलन और विलय किया जाता है तो अंतरक (ट्रांस्फेरर) कम्पनी अपनी शनाख़्त खो देती है क्योंकि वह अपने व्यापार से प्रविरत हो जाती है। हालांकि, उनके संबंधित अधिकार या दायित्व समामेलन योजना के तहत निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन हस्तांतरणकर्ता कंपनी की कॉर्पोरेट शनाख़्त का अस्तित्व (वजूद), समामेलन प्रभावी होने की तारीख से, प्रविरत हो जाती है।

29. दूसरा मुद्दा यह है कि कर्मचारी की सेवा के आमोलन का क्या प्रभाव होगा। आमोलन का अर्थ है कि एक प्रतिष्ठान में दी जाने वाली सेवाओं के सभी भाग दूसरे प्रतिष्ठान में आमोलित माने जाएंगे।आमोलन का निर्णय लेने के क्षण से ही, अन्य कर्मचारियों का एक द्वारा दी गई पिछली सेवाएं उस प्रतिष्ठान में की गई मानी जाएंगी जिसमें सेवाएं आमोलित की गई हैं। सेवाओं के नियमितीकरण औरआमोलन में अंतर है, और जब किसी कर्मचारी को नियमित किया जाना है तो सिद्धांत यह है कि नियमितीकरण का लाभ उस तारीख से दिया जाना चाहिए जब नियमितीकरण का निर्णय लिया गया हो। लेकिन आमोलन के मामले में यह सिद्धांत लागू नहीं होता है, बल्कि ऐसे कर्मचारियों द्वारा दी गई सभी पिछली सेवाएं जिनकी सेवाएं दूसरे प्रतिष्ठान में आमोलित की गई हैं, और इस मामले के मद्देनजर ऐसा कर्मचारी उस प्रतिष्ठान के सभी अनुज्ञेय लाभ पाने का हकदार होगा जिसमें सेवाएं आमोलित की गई हैं।

30. इस संबंध में ए.एन. सचदेवा (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य बनाम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक और अन्य [(2015) 10 एससीसी 117] के मामले में दिए गए फैसले का संदर्भ दिया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ग के बीच वर्ग के निर्माण के तथ्य पर विचार करते समय पैराग्राफ 30 के तहत निम्नानुसार टिप्पणी की है जो इस प्रकार पठनीय है: -

> *"30. संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत ऐलान किए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, और यह कि लाभ एक अनुग्रह पूर्वक भुगतान नहीं है, बल्कि पिछली सेवा की मान्यता का भुगतान है, हमारी राय में, उन कर्मचारियों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता था जो आमोलित / आवंटित किये गये हैं और वे पेंशन के उद्देश्य के लिए अपनी सेवाओं को अर्हता सेवा के रूप में गिनने के हकदार हैं और, उन लोगों के बीच नहीं, जिन्हें सीधे नियुक्त किया गया है। तथ्य रह जाता है कि इन सभी कर्मचारियों ने बिना किसी व्यावधान के पंजाब विश्वविद्यालय / कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय / एमडी विश्वविद्यालय में सेवा दी है। ...अपनी स्थापना के पूर्व, एमडी विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केन्द्र था। प्रत्याशंका उठी थी कि, पंजाब विश्वविद्यालय/कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में दी गई सेवा की अवधि के संगणना करने की, जिससे अनुचित रूप से वंचित नहीं किया जा सकता। केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है और अन्य को आमोलित/आवंटित किया गया है, प्रदान की गई सेवा के संबंध में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है। अन्यथा भी, यह लाभ के ऊपर की ओर संशोधन का मामला है और सीधे नियुक्त व्यक्तियों को लाभ न देने और कट-ऑफ तिथि निर्धारित करने की उपरोक्त विधि द्वारा जो वर्गीकरण बनाने की ईप्सा की गई है, उसे समझदारीपूर्ण नहीं कहा जा सकता है; यह भेदभावपूर्ण है और इस प्रकार, अपीलकर्ता 24-12-2001 को पंजाब विश्वविद्यालय/कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रदान की गई पिछली सेवा को अर्हक सेवा के रूप में गणना करने के लिए, लिए गए निर्णय की तिथि से लाभ के लिए पात्र होंगे। दूसरे शब्दों में, वे भविष्यलक्षी प्रभाव से दिनांक 24-12-2001 के ज्ञापन जारी होने की तारीख से लाभ के लिए*

पात्र होंगे। कर्मचारियों ने जैसा दिनांक 24-12-2001 के ज्ञापन में अपेक्षा की गयी है,सीपीएफ के नियोक्ता के अंशदान को जमा/समायोजित करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है।" [बल देकर कहा गया].

31. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त मामले में, माननीय *शीर्षस्थ* न्यायालय ने मताभिव्यक्ति की है कि केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है और अन्य को आमोलित/आवंटित किया गया है, प्रदान की गई सेवा के संबंध में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है और यदि ऐसा होने दिया जाएगा, तो यह अनुचित वर्गीकरण और भेदभाव के अलावा और कुछ नहीं होगा।

32. मामले के वर्तमान तथ्य में तीसरा विवाद्यक देरी और लापरवाही का सिद्धांत, और फेंस सिटर के सिद्धांत की प्रयोज्यता है। दोनों मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि फेंस सिटर शब्द का अर्थ बैक बेंचर है, जिसका अर्थ है कि एक मुवक्किल , कानून की अदालत द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद, समान शिकायत पर कानून की अदालत का दरवाजा खटखटाता है, तो उन परिस्थितियों में, ऐसे मुवक्किल को फेंस सिटर कहा जाएगा। फेंस सिटर का सिद्धांत मुख्य रूप से देरी और लापरवाही के सिद्धांत पर आधारित है।

33. रिट याचिका जिसमें न्यायालय इंसाफ़ के उसूलों की शक्ति का प्रयोग करता है और इसलिए, अगरचे, परिसीमा का सिद्धांत लागू नहीं होता है, लेकिन देरी और लापरवाही को इस कारण से देखा जाना चाहिए कि रिट न्यायालय किसी विमुख मुवक्किल के लिए नहीं बना है, बल्कि यदि मुवक्किल के साथ मौलिक अधिकार या कानून निहित अधिकार, जिसे युक्तियुक्त अवधि के भीतर अदालत का रुख़ करना उसका कर्तव्य है, का उल्लंघन किया गया है ।

34. इस संबंध में, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद बनाम पान सिंह और अन्य [(2007) 9 एससीसी 278] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का निर्देशन लिया जा सकता है, जिस के पैराग्राफ 17 में, माननीय शीर्षस्थ न्यायालय ने निम्नांकित मताभिव्यक्ति की थी:

"17 अगरचे., भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करने के लिए कोई परिसीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है, साधारणतः, रिट याचिका युक्तियुक्त समय के अंदर फाइल की जानी चाहिए। (लिप्टन इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ देखें) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, रात्रि 29.09.24

35. इसी प्रकार, मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम नंदलाल जायसवाल एवं अन्य, एआईआर 1987 एससी 251 में रिपोर्टेड, (मामले में), में माननीय शीर्षस्थ न्यायालय ने मताभिव्यक्ति की है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उचित रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति विवेकाधीन है, और यदि याचिकाकर्ता की ओर से रिट याचिका दायर करने में अत्यधिक देरी होती है, और ऐसी देरी को संतोषजनक ढंग से स्पष्टिकरण नहीं दिया जाता है, तो उच्च न्यायालय अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, हस्तक्षेप करने और राहत प्रदान करने से इनकार कर सकता है। देरी और ग़फ़लत के सिद्धांत पर बल दिया गया औरए कहा गया है कि

उच्च न्यायालय आमतौर पर रिट क्षेत्राधिकार के तहत असाधारण उपाय का विलंबित अभिगम की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि इससे न्याय प्रदान करने में भ्रम और असुविधा होने की संभावना बन जाती है।

36. उपर्युक्त संदर्भ में, माननीय शीर्षस्थ न्यायालय द्वारा बलजीत सिंह (मृत), बज़रिए, एलआर्स और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य, 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 1004 [एसएलपी (सी) संख्या 30404-30442/2017] में रिपोर्टेड, फैसले को आगे निर्दिष्ट किया है, जिसमें ज़मीन खोने वालों ने, अत्यधिक देरी के बाद बढ़े हुए मुआवज़ा की ईप्सा करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विलम्ब के लिए मफी देने से इन्कार कर दिया। उपर्युक्त मामले के पैरा 7 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया, जो इस प्रकार पठनीय है –

> "7. मामले को दूसरे पहलू से भी परीक्षण करना आपेक्षित है, अर्थात ग़फ़लत और विलंब। यह न्यायशास्त्र का एक बहुत ही मान्यता प्राप्त सिद्धांत है कि लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया गया अधिकार अस्तित्वहीन है। यहां तक कि जहां, किसी भी क़ानून द्वारा कुछ कार्यवाहियों से संबंधित कोई परिसीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है, ऐसे मामलों में, न्यायालयों ने ग़फ़लत और विलंब के सिद्धांत के साथ-साथ मौन स्वीकृति के सिद्धांत को भी गढ़ा है उन मामलों में, जहां सीमा अवधि निर्धारित की गई है जिसके अंदर अदालत के समक्ष कार्रवाई लाई जानी है, यदि कार्रवाई उस निर्धारित अवधि के भीतर नहीं लाई जाती है, तो पीड़ित पक्ष उपाय खो देता है और सीमा अवधि समाप्त होने के बाद अपने कानूनी अधिकार को लागू नहीं करा सकता है, हालांकि, देरी की माफी के लिए प्रार्थना के अधीन, और यदि सीमा अवधि समाप्त होने के बाद कार्रवाई लाने के लिए उचित स्पष्टीकरण है, और पर्याप्त कारण दिखाया गया है, तो अदालत देरी को माफ कर सकती है। इसलिए, ऐसे मामले में जहां सीमा अवधि निर्धारित की गई है और कार्रवाई सीमा अवधि के भीतर नहीं लाई गई है और बाद में देरी की माफी के लिए प्रार्थना के साथ सीमा अवधि के बाद, कार्यवाही शुरू की जाती है, उस मामले में, आवेदक को पर्याप्त कारण बताना होगा, और उचित स्पष्टीकरण के साथ देरी के कारण को उचित ठहराना होगा। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक मामले में पर्याप्त कारण नहीं दिखाए जाने और देरी को ठीक से स्पष्ट नहीं किए जाने के बावजूद, अदालत देरी को माफ कर दे। देरी की माफी का मामला बनाने के लिए, आवेदक को एक पर्याप्त कारण/वजह बतानी होगी, जिसने उसे समय सीमा के भीतर कार्यवाही संस्थित करने से रोका। अन्यथा, उस पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया जाएगा। यदि पीड़ित पक्ष बिना किसी पर्याप्त कारण के समय सीमा के भीतर कार्यवाही शुरू नहीं करता है, तो उसे अस्पष्ट लापरवाही और देरी के आधार पर और इस धारणा पर राहत से वंचित किया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति ने अपने अधिकार का परित्याग कर दिया है या आदेश से सहमत है। ये सिद्धांत स्वस्थ

सार्वजनिक नीति से संबंधित सिद्धांतों पर आधारित हैं कि यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करता है, तो ऐसा अधिकार अस्तित्वहीन है।" ....

37. फेंस सिटर के मुद्दे को उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम अरविंद कुमार श्रीवास्तव और अन्य, (२०१५) १ एससीसी ३४७, के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया है, जिसमे पैराग्राफ १८ और १९ शीर्षस्थ न्यायालय अपनी मुसर्रत ज़ाहिर करते हुए निम्नानुसार धारण किया है:-"१८. .... यू.पी. जल निगम बनाम जसवंत सिंह ने (२००६) ११ एससीसी ४६४ में रिपोर्टेड, जहां मुद्दा यू.पी. जल निगम के कर्मचारियों के ६० वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने के अधिकार से संबंधित था। हरविंद्र कुमार बनाम मुख्य अभियंता, कार्मिक (२००५) १३ एससीसी ३०० में रिपोर्टेड, यह न्यायालय, पहले निर्धारित किया था कि ये कर्मचारी वास्तव में ६० वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने के हकदार थे। उपर्युक्त विनिश्चय के बाद, उच्च न्यायालय में उन लोगों द्वारा रिट याचिकाओं की बाढ़ आ गई, जो बहुत पहले सेवानिवृत्त हो गए थे। विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या उन कर्मचारियों को, जो अपने सेवानिवृत्ति आदेशों को चुनौती देने के लिए नहीं जागे और उसे स्वीकार कर लिया, और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ भी प्राप्त कर लिए, हरविन्द्र कुमार रिपोर्ट (2005) 13 एससीसी 300 में दिए गए निर्णय के आलोक में राहत दी जा सकती है। न्यायालय ने विलंब और ग़फ़लत के सिद्धांत को लागू करते हुए लाभ देने से इनकार कर दिया। यह निर्धारित किया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन राहत के इस्तेमाल में एक महत्वपूर्ण कारक लापरवाही और देरी है। जब कोई व्यक्ति अपने अधिकारों **के** प्रति सतर्क नहीं है और स्थिति को स्वीकार कर लेता है, तो उसकी रिट याचिका पर, कुछ वर्षों के बाद, इस आधार पर सुनवाई नहीं की जा सकती कि उसे भी वही राहत दी जानी चाहिए जो समान स्थिति वाले उन व्यक्तियों को दी गई थी जो, अपने अधिकारों के प्रति सतर्क थे और अपनी सेवानिवृत्ति को चुनौती दी थी। रूप डायमंड, (1989) 2 एससीसी 356 में रिपोर्टेड के पारा 7 में न्यायालय ने कोट किया है। एस.एम.कोटरैया (1996) 6 एससीसी 267 में रिपोर्टेड मामले के प्राधिकार का टिप्पण लिया गया था।

19. विलंब और लापरवाही के समान सिद्धांत पर कुछ अन्य निर्णयों का संज्ञान पैरा 9 से 11 में लिया गया है, जो इस प्रकार हैं:

(जसवंत सिंह मामला, (2006) 11 एससीसी 464 में रिपोर्टेड, एससीसी पृ. 469-70)

"9. इसी तरह, जगदीश लाल बनाम हरियाणा राज्य (1997) 6 एससीसी 538 में रिपोर्टेड में, इस अदालत ने इस नियम की फिर से पुष्टि की कि यदि कोई व्यक्ति मामले पर बैठ जाने का विकल्प चुनता है और फिर अदालत के फैसले के बाद

जागता है,, तो ऐसा व्यक्ति लाभ के लिए स्टैंड नहीं कर सकता है। उस मामले में, निम्नानुसार संप्रेक्षण किया गया था: (एससीसी पृष्ठ 542)"

"देरी संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 32 के तहत विवेकाधीन राहत के लिए, एक पक्ष को वंचित करता है। अपीलकर्ता लंबे समय तक अपने अधिकारों के बारे में सोते रहे, और जब उन्हें भारत संघ बनाम वीरपाल सिंह चौहान (1995) 6 एससीसी 684 में रिपोर्टेड से प्रोत्साहन मिला, तब वे जागे। वरिष्ठता को फिर से करने का अपीलकर्ताओं का दुःसाहसिक प्रयास इस विलंबित चरण में न्यायिक समीक्षा के अध्यधीन नहीं है।यूनियन ऑफ इंडिया बनाम सी.के.धारागुप्ता ने (1997) 3 एससीसी 395 (एससीसी पृष्ठ ३९८, पैरा ९)में रिपोर्टेड मामले में यह मताभिव्यक्ति की गई थी: "9. हम, हालांकि, यह स्पष्ट करते हैं कि, हमारे निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, आर.पी. जोशी बनाम भारत संघ में न्यायाधिकरण का फैसला, केवल जोशी को राहत देता है, न्यायाधिकरण के उक्त फैसले का लाभ किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। उत्तरवादी सी.के. धारागुप्ता (अब सेवानिवृत्त) जोशी मामले के लाभ की ईप्सा कर रहे हैं। हमारे निष्कर्ष को देखते हुए कि न्यायाधिकरण के १७-३-१९८७ के फैसले का लाभ केवल जोशी को दिया जा सकता है और किसी और को नहीं, यहां तक कि धारागुप्ता भी किसी राहत के हकदार नहीं हैं।" ११. पश्चिम बंगाल सरकार बनाम तरुण के. रॉय (२००४) १ एससीसी ३४७ में रिपोर्टेड के मामले में , दियर लॉर्ड शिप्स ने देरी को गंभीर कारक माना और कोई राहत प्रदान नहीं की। उसमें निम्नलिखित मताभिव्यक्ति की गई: (एससीसी पृ. 359-60, पैरा 34) „"34. इसके अलावा, रिट याचिका दायर करने में, उत्तरवादी ने अपनी ओर से किए गए घोर विलंब और लापरवाही के आधार पर भी किसी राहत के हकदार नहीं हैं। पहली दो रिट याचिकाएं वर्ष 1976 में दायर की गई थीं, जिसमें यहां उत्तरवादियों ने 1992 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। 1976 और 1992 के बीच न केवल दो रिट याचिकाओं का विनिश्चय किया जा चुका था, लेकिन,एक तरह से या किसी अन्य तरीके से, जब इस बात पर इस न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.बी राज्य बनाम देबदास कुमार (1991) सप्ली. (1) एससीसी 138 में रिपोर्टेड, में इस न्यायालय द्वारा विचार किया जा चुका था। देरी की दलील, जिसे श्री कृष्णमणि कथन करते हैं, समान स्थिति वाले अन्य व्यक्तियों को राहत देने से इनकार करने का आधार होना चाहिए, उत्तरवादीगण के खिलाफ किर्याशील होगा। इसके अलावा, अन्य कर्मचारी इस न्यायालय के समक्ष नहीं हैं, हालांकि वे उचित कानून के न्यायालयों के समक्ष अपनी शिकायतें संवातित कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में, हम कोई आदेश पारित नहीं करना चाहेंगे जो उनके हेतुक को प्रतिकूल प्रभाव डाले । ऐसी परिस्थिति में हम केवल उत्तरवादीगण को कुछ राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कोई मताभिव्यक्ति करने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसके वे कानूनी रूप से हकदार नहीं हैं, ताकि अन्य लोगों

को इससे वंचित किया जा सके, जिन्हें कानून की अदालत द्वारा इसके हकदार पाया जा सकता है।"

38. फिर,उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम ममता मोहंती, (2011) 3 एससीसी 436 के मामले में, माननीय शीर्षस्थ न्यायालय प्रसादपर्यंत हुआ है यह निर्धारित करने को कि: -

> *"53. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि परिसीमा अधिनियम, 1963 रिट क्षेत्राधिकार में लागू नहीं होता है। हालाँकि, सीमा का सिद्धांत सार्वजनिक नीति पर आधारित है, इसमें प्रतिष्ठापित सिद्धांत लागू होते हैं और रिट याचिकाएँ देरी और लापरवाही के आधार पर प्रारंभिक चरण में खारिज कर दी जाती हैं। इस तरह केऐ से मामले में जो सामन है,, एक विशेष वेतनमान प्राप्त करने से कार्रवाई का एक आवर्ती वाद-कारण उत्पन्न हो सकता है। ऐसी परिणामिक स्थिति में, देरी और लापरवाही के आधार पर याचिका खारिज की जा सकती है और अदालत अस्पष्ट और अत्यधिक देरी के मामले में प्रारंभिक अवधि के लिए राहत देने से इनकार कर सकती है। वर्तमान मामले में, उत्तरवादी ने 11-11-2005 को याचिका दायर करते हुए 1-1-1986 से राहत का दावा किया, लेकिन उच्च न्यायालय ने कुछ अस्पष्ट कारणों से 1-6-1984 से राहत प्रदान की, हालाँकि 6-10-1989 की अधिसूचना, इसे 1-1-1986 से प्रभावी बनाती है।*
>
> *54. यह न्यायालय इस तर्क को लगातार खारिज करता रहा है कि यदि याचिकाकर्ता, किसी समान मामले में न्यायालय द्वारा दी गई राहत के बारे में पता चलने के बाद, न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है तो उस मामले में देरी और लापरवाही का उचित स्पष्टीकरण दिया जाना नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वैसे मामले में यह देरी और लापरवाही के लिए उचित स्पष्टीकरण देना नहीं हो सकता है। एक मुवक्किल गहरी नींद से नहीं जाग सकता और दावा को रफ़्तार दे सकता है कि, कुछ मामले के निर्णयों में जहां कुछ तत्पर्तावान व्यक्तों ने युक्तियुक्त समय के भीतर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया हो।*

39. यह स्पष्ट है कि फेंस सीटर का सिध्दांत तब लागू नहीं होगा जब कि जिसे विनिश्चय करना है उसी के तरफ ग़फ़लत बरती गई हो। कानून की स्थिति ऐसी है कि दोषकर्ता को अपने स्वंय के दोष का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सिद्धांत यह है कि यदि एक या अन्य व्यक्ति किसी लाभ का हकदार है, जो नियुक्ति प्राधिकारी होने के नाते, राज्य का बाध्य कर्तव्य है कि वह उक्त लाभ प्रदान करे, और यदि लाभ प्रदान नहीं किया गया है तो संबंधित प्रतिष्ठान को इस तथ्य का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि संबंधित मुवक्किल वादी ने उचित अवधि के भीतर क़ानूनी न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया।

40. इस संबंध में कुशेश्वर प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य (2007) 11 एससीसी 447 के मामले का निर्देशन लिया जा सकता है, जिसमें माननीय शीर्षस्थ न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"15. यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मेजर जनरल मदन लाल यादव [(1996) 4 एससीसी 127] में आरोपी, सैन्यकर्मी खुद देरी के लिए जिम्मेदार था, क्योंकि वह हिरासत से भाग गया था। फिर उसने कार्यवाही शुरू करने के खिलाफ इस आधार पर आपत्ति जताई कि सेना अधिनियम, 1950 के तहत ऐसी कार्यवाही छह महीने के भीतर शुरू की जानी चाहिए थी। उपरोक्त कहावत का हवाला देते हुए, इस न्यायालय ने मताभिव्यक्ति दी कि आरोपी अपनी गलती का अनुचित लाभ नहीं उठा सकता। अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करते हुए, न्यायालय ने निर्धारित किया कि आरोपी की उपस्थिति मुकदमा का विचारण प्रारंभ करने के लिए एक अत्यावश्यक शर्त थी, और जब आरोपी खुद को उपलब्ध नहीं कराया, तो उसे यह विवाद उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि, कार्यवाही समय वर्जित है। यह न्यायालय (एससीसी पृष्ठ 142, पैरा 28)पेज 191, ब्रूम के कानूनी सुत्रों (10वें संस्करण), पृष्ठ 10 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था: "यह मान्यता प्राप्त और स्थापित कानून का एक सुत्र है कि कोई भी व्यक्ति अपने गलत काम का फ़ायदा नहीं उठाएगा; और यह सुत्र, जो प्राथमिक सिद्धांतों पर आधारित है, विधि और साम्या की अदालतों में पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है, और वास्तव में, कानूनी प्रक्रिया की हर शाखा से दृष्टांततः स्वीकार्यता प्राप्त है।"

16. यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति को कानून की अनुकूल व्याख्या प्राप्त करने के लिए अपने गलत काम का अनुचित और ना-वाजिब फ़ायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह एक ठोस सिद्धांत है कि वह जो (व्यक्ति) किसी काम को न किए जाने से रोकता है, वह उस काम को न किए जाने का फ़ायदा नहीं उठा सकता, जिसका कारण वह स्वंय है। दूसरे शब्दों में कहें तो, "गलत काम करने वाले को अपने गलत काम से फ़ायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

41. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम शैलेन्द्र (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य के माध्यम से, (2018) 3 एससीसी 412 के पैराग्राफ 143 में रिपोर्टेड, के मामले में, इसी तरह के दृष्टिकोण को दोहराया गया है, जिसे नीचे उद्धृत किया जा रहा है*:-"143. जब एक बार न्यायालय ने राज्य अधिकारियों को कब्जा लेने या यथास्थिति बनाए रखने से रोक दिया है, तो वे राशि का भुगतान नहीं कर सकते हैं या आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे में अंतरिम आदेशों के परिणामों का उपयोग राज्य के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। यह मूल सिद्धांत है कि जब कोई पक्ष किसी कर्तव्य को निभाने में अयोग्य होता है और उसके लिए कर्तव्य निभाना संभव नहीं होता है, तो यह एक अच्छा बहाना है। यह एक स्थापित प्रतिपादन है कि किसी को अपने गलत काम का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सिद्धांत कॉमोडम एक्स इंजुरिया सुआ नेमो हैबेरे डेबेट का अर्थ है कि किसी पक्ष को उसके अपने गलत काम से सुविधा प्रोद्भूत नहीं हो सकती है। किसी भी व्यक्ति को अपने गलत काम का फायदा नहीं उठाना चाहिए। एक मुव्क्किल सही या गलत हो सकता है। आम तौर पर मुकदमे की योग्यता, मुकदमा संस्थित होने की तारीख पर देखी जानी चाहिए। किसी को अनुचित निषेधाज्ञा या स्थगन आदेश प्राप्त करने और अपने कार्यों का लाभ हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कानून का उद्देश्य उचित मामलों का निवारण करना है; साथ ही, इसकी नीति मुकदमेबाजी को बढ़ावा देना और बद-दियानत व्यक्तियों द्वारा कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करके और विलंबकारी रणनीति अपनाकर अपने कृत्यों द्वारा होने वाली देरी के कारण लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाना नहीं है।*

42. यह न्यायालय, मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में, लाभ के मुद्दे पर विचार कर रहा है। अब यह कोई बिल्कुल अछुता मामला नहीं रहा, कि पेंशन कोई सख़ावत (बॉनटी) नहीं है, बल्कि यह हक़ है जैसा कि माननीय शीर्षस्थ न्यायालय ने देवकीनंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले, (1971) 2 एससीसी 330 में, पैराग्राफ 33 में निर्धारित किया है:

"33. उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह मत है कि याचिकाकर्ता का पेंशन प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 31(1) के तहत संपत्ति है और केवल एक कार्यकारी आदेश द्वारा राज्य के पास इसे रोकने का कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार, उक्त दावा भी अनुच्छेद 19(1)(एफ) के तहत संपत्ति है और यह अनुच्छेद 19 के उप-अनुच्छेद (5) द्वारा सुरक्षित नहीं है। इसलिए, यह इस प्रकार है कि 12 जून, 1968 का आदेश, याचिकाकर्ता को पेंशन प्राप्त करने के अधिकार से इंकार करने का अनुसरण करता है, यथा, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(एफ) और 31(1) के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है, और इस तरह अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका पोषणीय है। यह हो सकता है कि पेंशन अधिनियम (अधिनियम 23/5, 1871) के तहत किसी सिविल कोर्ट द्वारा उसमें वर्णित मामलों से संबंधित किसी भी मुकदमे को ग्रहण करने पर रोक हो। यह राज्य को याचिकाकर्ता के पेंशन के भुगतान के दावे पर, कानून के अनुसार, विचार करने के लिए परमादेश रिट जारी करने के रास्ते में रुकावट नहीं डालता है।"

43. इसके बाद, माननीय शीर्षस्थ न्यायालय ने झारखंड राज्य और अन्य बनाम जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य, (2013) 12 एससीसी 210 में रिपोर्टेड, मामले के पैराग्राफ 16 में निम्नानुसार निर्धारित किया है:

"16. तथ्य यह रह जाता है कि कानूनी सिद्धांत में एक अपरिपक्व है कि पेंशन प्राप्त करने के अधिकार को "संपत्ति" में अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 300-ए निम्नानुसार पठनीय है:

"300-ए। व्यक्तियों को कानूनी प्राधिकार के सिवाय, संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति कानूनी प्राधिकार के बग़ैर, अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।"

एक बार जब हम उस अहाते पर आगे बढ़ते हैं, तो इस फैसले की शुरुआत में हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर बहुत सुस्पष्ट हो जाता है। किसी व्यक्ति को सिवाय कानून के प्राधिकार के, इस पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो संविधान के अनुच्छेद 300-ए में निहित संवैधानिक आज्ञाप्ति है। यह अनुगमन करता है कि अपीलकर्ता द्वारा बिना किसी वैधानिक प्रावधान के, तथा प्रशासनिक निदेश के तहत पेंशन या ग्रेच्युटी या यहां तक कि छुट्टी नकदीकरण और प्रशासनिक अनुदेशन का रोष भी यह शकल एख़्तियार नहीं कर सकता।"

44. यह अदालत अब तथ्यात्मक रुख़ का परीक्षण करने के लिए आगे बढ़ रहा है इस उद्देश के तहत कि आकलन किया जा सके कि क्या रिट याचिकाकर्ता की मृतक मां वास्तव में पेंशन के लाभ के भलिए हकदार थी, जिसे आनुपाततः पेंशन कहा गया है, अर्थात उस अवधि के लिए जिसके लिए रिट याचिकाकर्ता की मृतक मां ने सीएमएलडब्ल्यूओ में विलयन से पहले अर्थात 01.08.1985 से पहले अपने कर्तव्यों का पालन किया था। विलयन का मुद्दा तथ्यात्मक विवाद में नहीं है, जो कि 26.07.1985 के उपाबंध ए में अंतर्विष्ट विनिश्चय से भी स्पष्ट है,जो भारत सरकार के संचार द्वारा अनुमोदित है, कि वर्तमान में कोयला खान श्रम कल्याण संगठन के प्रशासनिक नियंत्रण में सूचीबद्ध, उनके अस्पताल को कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों में स्थानांतरित कीया जाना है।

45. पारा 2 के तहत आगे विनिश्चय किया गया है कि कोयला खान श्रम कल्याण संगठन, केंद्रीय प्रमुख सेवा व्यक्ति (सीएचएस) और आकस्मिक/कार्यभारित कर्मचारी शामिल हैं, सहित 01.08.1985 के प्रभाव से अपने अपने संबंधित कोयला कंपनियों के संवर्गों में स्थानांतरित माने जाएंगे।

46. उनके आमोलन, विकल्प इत्यादि के बारे में अनुदेश, अलग से तय किए गए हैं। संदर्भ के लिए दिनांक 26.07.1985 के संचार में ऐसा किया गया विनिश्चय नीचे संदर्भित किया जाता है।

सं.एस.-2019/4/84-सीएसडब्ल्यू

भारत सरकार

इस्पात, खान एवं कोयला मंत्रालय

कोयला विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई, 1985

कोयला खान कल्याण आयुक्त,

जगजीवन नगर,

धनबाद।

विषय:- कोयला खान श्रम कल्याण संगठन के अस्पतालों इत्यादि का कोयला कंपनियों को हस्तांतरण।

....

महोदय,

मुझे कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनियों में कोयला खान श्रम कल्याण संगठन के प्रशासनिक नियंत्रण में वर्तमान में सूचीबद्ध अस्पतालों को 1 अगस्त, 1985 से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार हस्तांतरित करने के लिए भारत सरकार के अनुमोदन से अवगत कराने का निर्देश हुआ है:-

i) केंद्रीय अस्पताल, धनबाद भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

i) केंद्रीय अस्पताल, आसनसोल ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

ii) टी.बी. अस्पताल, सियरसोल

iii) पुनर्वास सह कृत्रिम अंग फिटिंग केंद्र, सीताबाड़ी

iii) मुग्मा में एलोपैथिक डिस्पेंसरी

I) केंद्रीय अस्पताल, मनेंद्रगढ़, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

ii) पुनर्वास केंद्र, छिंदवाड़ा

i) क्षेत्रीय अस्पताल रामागुंडम सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड

2. कोयला खान श्रमिक कल्याण संगठन के सभी कर्मचारी, जिनमें सीएचएस कार्मिक और सभी आकस्मिक/कार्य प्रभारित कर्मचारी शामिल हैं, जो संबंधित कोयला कंपनियों के संवर्गों में

01.08.1985 से स्थानांतरित हो जाएंगे। उनके आमोलन, विकल्प आदि के संबंध में निर्देश अलग से जारी किए जा रहे हैं।

3. उपर्युक्त अस्पतालों आदि की संपत्ति और देनदारियां, कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनियों को स्थानांतरित हो जाएंगी, जैसा भी मामला हो, 01.08.1985 से।

4. मूल्यांकन,देनदारियों का परिनिर्धारण से सम्बंधित अनुदेशन अलग से जारी किए जाएंगे

5. यह निर्गमन, कोयला विभाग के एकीकृत वित्त प्रभाग से परामर्शित है।

भवदीय, Sd/- (आर.एस. शिवानी) निदेशक

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,47. सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 26.07.1985 को लिए गए विनिश्चय के अनुसरण में दिनांक 04.09.1985 को विनिश्चय जारी किया , जिसके तहत यह निर्णय लिया गया है, कि स्थानांतरित अस्पताल में कार्यरत सीएचएस कर्मियों के अलावा, सभी नियमित कर्मचारियों को निम्नलिखित विकल्प दिये जाएंगे:-

(क) दिनांक 01.08.1985 के प्रभाव से संबंधित, **कोयला कंपनी की सेवा में स्थायी आमेलन (**एफ.एन.) ऐसे आमेलन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को कोयला कंपनियों में आमेलन से पहले उनकी सरकारी सेवा के लिए वही टर्मिनल और अन्य लाभ प्राप्त होंगे, जो सीएमडब्ल्यूओ के क्षेत्रीय अस्पतालों के कर्मचारियों को दिए गए थे, जिन्हें इसी तरह 1981-1983 में कोयला कंपनियों में स्थानांतरित किया गया था।

(ख) **सरकारी सेवाओं का प्रतिधारण:** सरकारी सेवाओं को बनाए रखने का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी सेवा को अधिशेष घोषित किया जाएगा और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत अधिशेष प्रकोष्ठ योजना के अंतर्गत व्यवहारित किया जाएगा।

(ग) **स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति:** केवल ऐसे कर्मचारी जो नियमों के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के पात्र हैं, उन्हें ऐसी सेवानिवृत्ति लेने का विकल्प होगा।

48. इससे यह भी स्पष्ट है कि कोयला कंपनियों की सेवाओं में आमेलन पर वेतन आदि के संबंध में विकल्प का विवरण अलग से सूचित करने का विनिश्चय किया गया है।

49. भारत सरकार, कार्मिक लोक, शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 1989 को जारी, एक कार्यालय ज्ञापन (उपाबंध सी) का भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

क. स्थायी सरकारी कर्मचारियों के पास सरकारी नियमों के अंतर्गत उन्हें उपलब्ध पेंशन लाभों को बनाए रखने या सार्वजनिक क्षेत्र के प्रशिक्षणाधीन/स्वायत्त निकाय के नियमों द्वारा शासित होने का विकल्प होगा। यह विकल्प अर्ध-स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को भी उपलब्ध होगा, जब वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय के मुताबिक़ हो चुके हों।

ख. सरकारी कर्मचारी जो सरकार के अधीन उपलब्ध पेंशन लाभों द्वारा शासित होने का विकल्प चुनते हैं, वे अपनी सेवानिवृत्ति के समय, तत्समय लागू केंद्रीय सरकार के नियमों के अनुसार पेंशन आदि के हकदार होंगे।

ग. 10 वर्ष से कम सेवा वाले स्थायी सरकारी कर्मचारी, अर्ध-स्थायी कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारी जो पीएसयू/स्वायत्त निकाय के नियम का विकल्प चुनते हैं, वे पीएसयू/स्वायत्त निकाय में स्थायीआमोलन की तिथि तक सरकार के अधीन अपनी सेवा की अवधि के लिए भविष्य निधि अंशदान के बराबर राशि के हकदार होंगे, जिस पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय के साथ उनके सीपीएफ खाते में प्रारंभिक शेष के रूप में 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज मिलेगा।

घ. स्थायी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जिन्होंने 10 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है और जो किसी पीएसयू/स्वायत्त निकाय से सेवानिवृत्ति लाभ लेने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें सरकार के अधीन की गई सेवा के लिए आनुपाततः सेवानिवृत्ति लाभ मिलेगा। इन्हें निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा।

(i) कर्मचारी जिनके पास मासिक आनुपातिक पेंशन लेने या 100% आनुपाततः पेंशन के बदले एकमुश्त राशि लेने का विकल्प है।

(ii) जहां कर्मचारी आनुपाततः पेंशन के मासिक भुगतान के पक्ष में विकल्प चुनते हैं, उसे पीएसयू/स्वायत्त निकाय में स्थायीआमोलन की तारीख से प्रभावी रूप से निकालने की अनुमति दी जाएगी। आनुपातिक पेंशन का कोई भी हिस्सा स्थायीआमोलन के समय या उसके बाद किसी भी समय परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) ऐसे कर्मचारियों के मामले में जो 100% आनुपाततः पेंशन के बदले एकमुश्त राशि का विकल्प चुनते हैं, एकमुश्त राशि की गणना सीसीएस (पेंशन का कम्यूटेशन) नियम, 1981 के तहत निर्धारित तालिका के आधार पर की जाएगी।

(iv) खंड (ii) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और खंड (iii) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के मामले में, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और एकमुश्त कम्यूटेड मूल्य दोनों का भुगतान स्थायीआमोलन की तारीख से 7 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर किया जाएगा। हालाँकि, मृत्यु/सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/सेवा उन्मुक्त की स्थिति में राशि का भुगतान पहले भी किया जा सकता है।

(v) उपर्युक्त खंड (iv) में उल्लिखित सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और पेंशन के बदले एकमुश्त राशि सरकार के पास रहेगी और सरकार के पास रहने की अवधि के लिए समय-समय पर सामान्य भविष्य निधि जमा के लिए निर्धारित दर पर ब्याज अर्जित करेगी।

50. दिनांक 05.07.1989 को उस विनिश्चय को दोहराते हुए जो दिनांक 04.09.1985 के संचार में उपलब्ध है, दिनांक 18.07.1989 के कार्यालय ज्ञापन से स्पष्ट है, जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र

उपक्रम/केंद्रीय स्वायत्त निकायों में सामूहिक रूप से स्थानांतरित सरकारी कर्मचारियों के बावजूद पेंशन शर्तों आदि के परिनिर्धारण के उद्देश्य से है।

51. यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि दिनांक 05.07.1989 का कार्यालय ज्ञापन रिट याचिकाकर्ता की मृतक मां के मामले में लागू होने के उद्देश्य से प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/केंद्रीय स्वायत्त निकायों में सामूहिक रूप से स्थानांतरित सरकारी कर्मचारियों के संबंध में पेंशन शर्तों के परिनिर्धारण के संबंध में है।

52. हम यहां सीएमएलडब्ल्यूओ में रिट याचिकाकर्ता की मां द्वारा की गई सेवा के आधार पर आनुपातत: पेंशन की पात्रता तय करने के उद्देश्य से विलयन के मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। दिनांक 26 जुलाई, 1985 और 04 सितंबर, 1985 का विनिश्चय प्रसांगिक है, जैसा कि यहां कोट किया गया है और संदर्भित है।

> कोयला खान श्रम कल्याण संगठन के सभी कर्मचारी, जिनमें सीएचएस कार्मिक और सभी आकस्मिक/कार्य प्रभारित कर्मचारी शामिल हैं, जो 01.08.1985 के प्रभाव से संबंधित कोयला कंपनियों के संवर्गों में स्थानांतरित हो जाएंगे। उनके आमोलन, विकल्प इत्यादि के बारे में निर्देश अलग से जारी किए जा रहे हैं।

53. दिनांक 26.07.1985 के संचार के पैराग्राफ 2 में दिया गया विनिश्चय इस मुद्दे पर अनुषांगिक है।

54. भारत के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने न्यायालय को यह धारणा कराने का प्रयास किया है कि दिनांक 26.07.1985 के संचार के पैराग्राफ 2 में संदर्भित विनिश्चय के अनुसार विलय किए गए किसी एक या दूसरे कर्मचारी द्वारा विकल्प दिया जाना आवश्यक था। चूंकि मृतक मां ने कोई विकल्प नहीं दिया है, इसलिए रिट याचिकाकर्ता की मां को विलय के आधार पर लाभ के लिए हकदार मानने का कोई सवाल ही नहीं है।

55. इस न्यायालय ने उपर्युक्त प्रस्तुतिकरण का अधिमुल्यन करने के लिए दिनांक 26.07.1985 के पत्र के पैरा 2 में उल्लिखित विषय-वस्तु पर विचार किया है।

56. शब्द-स्ट्रोक से यह स्पष्ट है कि केंद्रीय कोयला खान श्रम कल्याण संगठन (सीएमएलडब्ल्यूओ) के सभी कर्मचारी जिनमें सीएचएस कार्मिक और सभी कैजुअल/वर्कचार्ज कर्मचारी शामिल हैं, 01.08.1985 से संबंधित कोयला कंपनियों के कैडर में स्थानांतरित हो जाएंगे।वाक्यांश यह है कि कोयला खान श्रम कल्याण संगठन के सभी कर्मचारी संबंधित कोयला कंपनियों के कैडर में स्थानांतरित समझे जाएंगे।

57. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जिस क्षण यह निर्णय लिया गया कि सेवाएं स्थानांतरित हो जाएंगी, उस क्षण ऐसा निर्णय लिया गया है, जहां 01.08.1985 से सेवाओं का विलय हुआ सीएमएलडब्ल्यूओ में कार्यरत कर्मचारी की हैसियत कोयला कंपनियों के कर्मचारी की हो जाएगी।

58. उसके बाद, उनके आमोलन, विकल्प आदि के संबंध में अनुदेश अलग से जारी किए जा रहे हैं। उक्त नीति के अनुसरण में दिनांक 04.09.1985 के पत्र के हवाले से अलग विनिश्चय जारी किया गया है।

59. दिनांक 04.09.1985 के उक्त पत्र के परिशीलन से स्पष्ट है कि इसमें विनिश्चय किया गया है कि स्थानांतरित अस्पताल में कार्यरत सीएचएस कार्मिकों के अलावा अन्य सभी नियमित कर्मचारियों को विकल्प ए, बी, सी दिए जाएंगे, जैसा कि ऊपर कोट किया गया है।

60. विद्वान एएसजीआई द्वारा जो व्याख्या व्याख्या की गई है कि, चूंकि यहां सभी नियमित कर्मचारियों का निर्देशन किया गया है और रिट याचिकाकर्ता की मृतक मां भी नियमित स्थापना के अधीन थी, इसलिए उसके द्वारा भी विकल्प दिया जाना आवश्यक था, लेकिन यह न्यायालय इस दलील से सहमत नहीं है, क्योंकि विद्वान एएसजीआई ने अन्य शब्द को छोड़ दिया है जो इसी क्रम में है अर्थात "स्थानांतरित अस्पताल में कार्यरत सीएचएस कार्मिकों के अलावा अन्य।"

61. इस मामले में रिट याचिकाकर्ता की दिवंगत मां सीएचएस अस्पताल में काम कर रही थी और इसलिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं है कि दिनांक 04.09.1985 के संचार में लिए गए निर्णय ने विलय किए गए कर्मचारी को दो कोटि में विवर्गीकृत कर दिया है। पहली कोटि नियमित कर्मचारी है, जिसमें सीएचएस कार्मिक को अलग रखा गया, जिसका मतलब हुआ कि स्थनांतरित अस्पताल में काम करने वाले सीएचएस कार्मिक को अन्य नियमित कर्मचारियों से अलग कोटि में लिया गया है। दिनांक 04.09.1985 के संचार में* नियमित कर्मचारी से विकल्प लेने का *सुपठन था, इसलिए किसी भी हैसियत से केंद्रीय स्वास्थ्यू सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों से विकल्प की ईप्सा अपेक्षित नहीं थी।**

62. उत्तरवादीगण का स्वीकृत मामला यह है कि मृतक मां द्वारा कोई विकल्प नहीं दिया गया था, इसलिए मृतक मां का पुत्र लाभ का हकदार नहीं है।

63. लेकिन हमारे सुविचार से यह इस न्यायालय द्वारा पिछले पैराग्राफ में की गई व्याख्या के बनाम -हअनुसार, दिनांक 04.09.1985 के विनिश्चय के अनुसार, उत्तरवादीगण द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के तत्प्रतिकूल है।

64. दूसरा प्रश्न यह है कि ज्योंही विकल्प आपेक्षित नहीं रह जाता है, जो कि रिट याचिकाकर्ता की मृतक मां को पेंशन लाभ का हकदार न मानने वाली एकमात्र आपत्ति है। इसका उत्तर रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में और उत्तरवादी के खिलाफ दिया गया है। अब केवल विलंब के मुद्दे पर चर्चा के आधार पर निर्णय लिया जाना है और उसके आधार पर यह भी प्रस्तुत किया गया है कि रिट याचिका स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

65. यह न्यायालय पहले ही माननीय शीर्षस्थ न्यायालय के न्यायिक निर्णयाधार पर देरी और लापरवाही के मुद्दे पर विचार कर चुका है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और विधि के उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, पेंशन को इनाम के रूप में नहीं बल्कि अधिकार के रूप

में माना जाना चाहिए और जब अधिकार एक या अन्य, यहां याचिकाकर्ता की मृतक मां, के पक्ष में प्रोदभूत हो चुका है, तो किस हैसियत के तहत उत्तरवादी के सक्षम प्राधिकारी ने इसे संवितरण नहीं किया । इसे संवितरित नहीं किया गया है, तो उत्तरवादी को यह आधार लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि शिकायत देरी से उठाई गई है। यहां तक कि यदि उत्तरवादी के आचरण को ध्यान में रखा जाए तो उक्त आधार भी उपलब्ध नहीं है।

.... 66. यहां स्वीकार किया गया तथ्य यह है कि रिट याचिकाकर्ता की मां की मृत्यु 1986 में हो गई थी और उसके बाद मूल आवेदन वर्ष 2017 में दायर किया गया था, जिसे खारिज नहीं किया गया, और यहां तक कि ओ.ए. संख्या 220/2017 में न्यायाधिकरण के समक्ष कोई आपत्ति भी नहीं उठाई गई थी, बल्कि उत्तरवादीगण ने स्वीकार किया है कि यदि रिट याचिकाकर्ता को दावे पर विचार करने के लिए प्रतिनिधित्व दायर करने की स्वतंत्रता दी जाएगी, तो कोई शिकायत नहीं होगी।

67. उसी पर विचार करते हुए उपरोक्त ओ.ए. 220/2017 को दिनांक 08.01.2019 के आदेश द्वारा निस्तारित कर दिया गया था, इसलिए, एक बार जब रिट याचिकाकर्ता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा की गई देरी और लापरवाही के मुद्दे पर विचार नहीं किया, बल्कि उसे अभ्यावेदन दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की. हालांकि, अभ्यावेदन दिए गए समय के भीतर दायर नहीं किया गया था और बाद में, अवमानना आवेदन भी दायर किया गया। अवमानना न्यायालय, यानी न्यायाधिकरण ने इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि अभ्यावेदन समय के भीतर दायर नहीं किया गया था, इसलिए अवमानना कार्यवाही को समाप्त (ड्रॉप)कर दिया गया।

68. इसके बाद, वर्ष 2022 में एक और मूल आवेदन दायर किया गया और उसे दिनांक 16.03.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

69. उपरोक्त तथ्यात्मक पहलू जो स्वीकार किया गया है, वह स्थिति को बहुत स्पष्ट करता है कि याचिकाकर्ता की मां की मृत्यु से लेकर मूल आवेदन दाखिल करने तक यानी 2017 तक की देरी और लापरवाही को उत्तरवादीगण द्वारा उत्तेजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसा इसलिए है, क्योंकि देरी और लापरवाही को अवमानना की कार्यवही ड्रॉप होने की तारीख, यानी 17.09.2022 से गिना जाना चाहिए। इसके अलावा पेंशन का आवर्ती वाद हेतुक है और एक बार जब कोई व्यक्ति पेंशन लाभ के लिए हकदार हो जाता है, तो उसे देरी और लापरवाही के बावजूद उत्तेजित किया गया कहा जाएगा।

70. इस विवाद्यक पर उलट पुलट कर ढूंढने से पहले, हम इसे पुनरावर्ती हेतुक से निपटना ठीक और उचित समझते हैं। "पुनरावर्ती" का अर्थ है मुवक्किल की पीड़ा, विशेष रूप से, लोक सेवक की पीड़ा, यदि पीड़ा दिन-प्रतिदिन जारी रहती है, तो उसे पुनरावर्ती वाद हेतुक कहा जाएगा। “पुनरावर्ती/क्रमिक गलतियां” वे हैं जो समय-समय पर घटित होती हैं, प्रत्येक गलत कार्रवाई के लिए एक सुभिन्न और पृथक वाद हेतुक को जन्म देती है। एक आवर्ती या क्रमिक गलत (wrong)

तब होता है जब क्रमिक कृत्य किए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक कृत्य के लिए एक अलग और पृथक वाद हेतुक को जन्म देता है। प्रत्येक गलत कार्य, अपने आप में, दावे या शिकायत को क़ायम रखने के लिए कार्रवाई का एक अलग वाद हेतुक बनाता है ।

71. माननीय शीर्षस्थ न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया एंव अन्य बनाम तरसेम सिंह [(2008) 8 एससीसी 648] के मामले में पैराग्राफ 4 पर निम्नानुसार निर्धारित किया है:-

> *"4. निरंतर गलतियां और आवर्ती/क्रमिक गलतियों के आधआरभूत सिद्धांतों को सेवा कानून विवादों पर लागू किया गया है। एक "निरंतर गलत" एक एकल गलत कृत्य को संदर्भित करता है ,जो निरंतर चोट का कारण बनता है। "आवर्ती/क्रमिक गलतियां" वे हैं जो समय-समय पर होती हैं, प्रत्येक गलत कार्रवाई के लिए एक सुभिन्न और अलग वाद हेतुक को जन्म देती है। इस न्यायालय ने बालकृष्ण सावलराम पुजारी वाघमारे बनाम श्री ध्यानेश्वर महाराज संस्थान [एआईआर 1959 एससी 798] में निरंतर गलत (wrong) की अवधारणा को (परिसीमा अधिनियम, 1908 की धारा 23 के संदर्भ में तत्समान परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 22) को स्पष्ट किया है: (एआईआर पृष्ठ 807, पैरा 31)*

72. माननीय शीर्षस्थ न्यायालय ने एम.एल.पाटिल (मृत), उनके कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से, बनाम गोवा राज्य और अन्य (2023) 1 एससीसी 660 में रिपोर्टेड, मामले में इसी मताभिव्यक्ति को दोहराते हुए संप्रेक्षित किया है कि पेंशन को आवर्ती कारण (वाद हेतुक) कहा जाएगा, इस संबंध में तत्पर संदर्भ के लिए, दिए गए निर्णय का निर्देशन दिया जाना चाहिए, उपरोक्त निर्णय का प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे उद्धृत (कोट) किया जा रहा है:-

> *"6. इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाकर्ताओं को दो अतिरिक्त वर्षों की अवधि के लिए कोई भी वेतन देने से इनकार करना सही और/या न्यायोचित हो सकता है, यदि वे देरी के आधार पर सेवा में बने रहते। हालांकि, जहां तक पेंशन का संबंध है, यह कार्रवाई का एक सतत वाद हेतुक है। पेंशन के बकाया को अस्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है, जैसे कि वे 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त/अधिवर्षित हो गए होते। -----।"*

73. यह न्यायालय उपर्युक्त चर्चा के आधार पर, और विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश पर वापस आते हुए, इस विचार पर है कि विद्वान न्यायाधिकरण ने तथ्य को सही परिप्रेक्ष्य में अधिमूल्यन नहीं किया है और केवल इस तथ्य पर विचार किया है कि रिट याचिकाकर्ता की मृतक मां की मृत्यु 1986 में घटित हुई थी, और कार्रवाई का वही वाद हेतुक तब तक जारी रहेगा जब तक मूल आवेदन खारिज हुआ था।

74. लेकिन यह न्यायालय उक्त निष्कर्ष से सहमत नहीं है, क्योंकि एक बार जब विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा हक़दार होना निर्धारित कर दिया गया, तो मृतक कर्मचारी का कानूनी उत्तराधिकारी पेंशन के रूप में परिणामी लाभ पाने का हकदार हो जाएगा।

75. इसका कारण यह है कि मृत्यु मानव के नियंत्रण में नहीं है और इसलिए मौद्रिक लाभ का हक़दार होने के आधार पर केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, बल्कि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह कानून के स्थापित प्रतिपादना के आधार पर विवाद्यक का विनिश्चय करे और यदि हक़दारी है तो कानूनी उत्तराधिकारियों को ऐसे हक़ से वंचित नहीं किया जा सकता, जिसका भुगतान नियमों के अनुसार किया जाना है।

76. इसलिए, यह न्यायालय एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य (1997) 3 एससीसी 261 में रिपोर्टेड, के मामले में माननीय शीर्षस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित विवाद्यक के आधार पर विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, जो कानून अच्छी तरह से स्थापित, कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग तब किया जाना चाहिए, जब निष्कर्ष में कोई विकृति हो या आदेश में अधिकार क्षेत्र का अभाव हो, बल्कि यहां तो उपर्युक्त चर्चा के आधार पर, पेंशन के अधिकार के संबंध में कानूनी मुद्दों की गैर-अधिमूल्यन का प्रश्न है। इसलिए, यह न्यायालय इस ख़याल पर है कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

77. तदनुसार, विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना बेंच, रांची में सर्किट बेंच द्वारा पारित दिनांक 16.03.2023 के आदेश को एतद्द्वारा अभिखंडित और अपास्त किया जाता है।

78. इसके मद्देनजर, वर्तमान रिट याचिका मन्ज़ूर की जाती है।

79. परिणामतः हालांकि, बिना किसी ब्याज के, रिट याचिकाकर्ता की मृतक मां को उसकी नियुक्ति की तारीख से विलय की तारीख तक की गणना की जाने वाली मौद्रिक लाभ, इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर, रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में भुगतान करने का निदेश दिया जाता है।

80. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका निपटारित हुआ।

(न्यायमूर्ति, सुजीत नारायण प्रसाद)

(न्यायमूर्ति, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव)

रजनीश **ए.एफ.आर**

यह अनुवाद मो. असरफ हुसैन अंसारी, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।